


**बिहार सरकार**  
**परिवहन विभाग**  
**आवश्यक सूचना**

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन सं०-2607/07 के आलोक में आयोग के पत्रांक 1912 दिनांक 20.04.2012 एवं 2831 दिनांक 26.07.2012 द्वारा मोटरयान निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र एवं कतिपय परिवाद पत्र की जांच दिनांक 14.08.2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक विश्वेश्वरैया भवन, द्वितीय तल पर स्थित परिवहन विभाग में निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में विस्तृत सूचना परिवहन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट <http://transport.bih.nic.in> पर देखी जा सकती है।

2. संबंधित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं तथा क्रमांक 1 से 13 पर उनकी सूची निम्नरूपेण है:-

क्र० सं०	आयोग के अनुसार रोल क्रमांक	अभ्यर्थियों के नाम	भेदा सूची क्रमांक	अभ्यर्थियों की वास्तविक आरक्षण कोटि	आरक्षण कोटि जिसके तहत नियुक्ति प्रस्तावित है।
1	37	श्री विनोद कुमार	1	सामान्य	सामान्य
2	28	श्री प्रवीण कुमार	3	सामान्य	सामान्य
3	33	श्री संजय कुमार	4	सामान्य	सामान्य
4	36	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	5	सामान्य	सामान्य
5	26	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह	6	सामान्य	सामान्य
6	40	श्री संजय कुमार	7	सामान्य	सामान्य
7	24	श्री गौतम कुमार	11	अत्यन्त पिछड़ी जाति	अत्यन्त पिछड़ी जाति
8	30	श्री राजीव रंजन	12	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति
9	29	श्री राजेश्वर लाल	13	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति
10	38	श्री संजय कुमार टाइगर	14	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति
11	21	श्री अजय कुमार	16	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति
12	23	श्री दिलीप कुमार	17	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति
13	25	श्री कामरुद्दया नारायण सिंह	24	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति

2. आयोग के अनुक्रमांक 42 श्री अमरेश शर्मा, अनुक्रमांक 44 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह अनुक्रमांक 46 श्री अनिल कुमार एवं अनुक्रमांक 43 श्री रामाशीष मांझी की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी अनुशंसा लंबित रखे जाने के कारण तत्काल विचार नहीं किया जा रहा है ।
3. सभी संबंधित अभ्यर्थी जांच हेतु आयोग द्वारा विज्ञापित संख्या-2607/07 में निर्धारित अहर्ता अनुरूप मैट्रिक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) एवं आवासीय प्रमाण-पत्र की मूलप्रति दो अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ एवं हाल के तीन पासपोर्ट साईज फोटो अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे ।
4. जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित स्तर से निर्गत होना चाहिए ।

  
संयुक्त परिवहन आयुक्त  
बिहार, पटना ।